[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 08/2024- केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 08 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि. .... (अ).- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. (i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 25 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25क	शीर्षक 9969 या शीर्षक 9986	मीटरिंग उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने, मीटरों/ट्रांसफार्मरों/कैपेसिटरों आदि का परीक्षण करने, बिजली कनेक्शन जारी करने, मीटरों/सेवा लाइनों को स्थानांतरित करने, डुप्लिकेट बिल जारी करने आदि की ऐसी सेवाओं की आपूर्ति, जो बिजली पारेषण और वितरण उपयोगिताओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली पारेषण और वितरण की आपूर्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हैं।	शून्य	शून्य”

(ख) क्रम संख्या 44 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"44क	शीर्षक 9981	अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के विरुद्ध अनुसंधान एवं विकास सेवाओं की निम्नलिखित द्वारा आपूर्ति- (क) कोई सरकारी निकाय; या (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान।	शून्य	बशर्ते कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान, अनुसंधान और विकास सेवा की आपूर्ति के समय इस प्रकार अधिसूचित है।"

(ग) क्रम संख्या 66 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"66क	शीर्षक 9992	केन्द्रीय या राज्य शैक्षणिक बोर्ड या परिषद या किसी अन्य समान निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, के द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित विद्यालय को प्रदान की गई संबद्धता सेवाएं।	शून्य	शून्य"

(घ) क्रम संख्या 69 के कॉलम (2), (3), (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“69	शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991 या शीर्षक 9992	निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई कोई भी सेवाएं– (क) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद; (ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय; (घ) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी; (ङ) प्रशिक्षण निकाय, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय के साथ प्रत्यातित हो, निम्नलिखित के संबंध में- (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम या कोई अन्य स्कीम; या (ii) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार स्कीम के अधीन कोई व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या (iii) राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे से संबद्ध कोई भी अर्हता या कौशल, जिसके संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा	शून्य	शून्य”

		और प्रशिक्षण परिषद ने अर्हता पैकेज को अनुमोदित किया हो		

(ङ) क्रम संख्या 71 के समक्ष, कॉलम (3) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में,

(क) मद (ज) में,

(क) उप-मद (i) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-मद (ii) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 190354/149/2024-टीओ-(टीआरयू-II)-पार्ट-I सीबीईसी]

(दिलमिल सिंह सोच)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2024-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, जिसे सा.का.नि. 388(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।